SE Registred Development Agreement

Serial No. 14240 Circle:-:Sabour

Book No. :- 4 Deed No. 86

Serial No. 14240

Deed No. 86

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Bhagalpur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 16/12/2014 by Rajesh Kumar
A stamp duty of Rs. 217180/- and other fees of Rs. 20440/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. 86 in Book No. 4, Volume No. 2 on pages from 343 to 355 and has been preserved in total 13 pages in C.D. No. 1 / Year 2014

Signature with Date
(Satyanarayan Choudhary)
Registering Officer, Bhagalpur

Date: 16/12/2014 Token No: 14529 /2014

ESCROW CHECKED

1. लेख्यकारीगण का नाम व पताः– 1. श्री राजेश कुमार पिता श्री जर्नादन साह साकिन मोहल्ला–तिलकामांझी, थाना– तिलकामांझी जिला–भागलपुर, स्थायी निवासी ग्राम– अब्जूगंज, थाना–सुलतानगंज, व जिला–भागलपुर 2. श्रीमती सुमित्रा देवी पति श्री सुभाष प्रसाद साह साकिन मोहल्ला–तिलकामांझी, थाना–

District Registry Office,Bhagalpur

Token Number 14529	Reg. Year 2014	Serial Number	Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Pradip Kumar Sharma						
Sig.	Pradeep Kumar Sharma 16/12/14						
Presented By	Rajesh Kumar						
Sig.	16/12/2014						
Executant	Rajesh Kumar						
Sig.	16/12/2014						
Executant	Sumitra Devi						
Sig.	सुमित्रा देवी 16/12/14						
Executant	Urmila Devi						
Sig.	उर्मिला देवी 16/12/14						
Identified By	Rakhi Kumari						
Sig.	Rakhi Kumari						

16/12/14

यह दस्तावेज नियमानुसार Book-1 है, परन्तु कम्प्यूटर की तकनीकी गड़बड़ी के कारण, यह दस्तावेज नं० - IV-86 हो गया है। जो सही है।

जिला अवर निबंधक
भागलपुर

आदेशानुसार प्रावधान एवं विक्रेता द्वारा दिखाये गये भूखण्ड मौजा - फतेहपुर थाना नं० - 23 भागलपुर सर्वोच्च रोड NH-80 पर स्थित है। जो चौपरा नं० आरामी पेरती है जिस पर 120 फीट लम्बा 3 फीट आया एवं 5 इंच मोटा दरवाजा एक एक शीशम का पेड़ लगा है जो व्यावसायिक प्रथम श्रेणी की है।

16/12/14.

तिलकामांझी जिला–भागलपुर वर्त्तमान निवासी– जमालपुर, जिला–मुंगेर, 3.श्रीमती उर्मिला देवी पति स्व0 फुलेश्वर साह साकिन + थाना –असरगंज, जिला–मुंगेर, राष्ट्रीयता – भारतीय ।

प्रथम पक्ष

2. **लेख्यधारी का नाम एवं पता:–** मेसर्स अनुपमा डेभलपर प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत निर्देशक श्री प्रदीप कुमार शर्मा पिता स्व0 नन्द लाल शर्मा निवास स्थान व कार्यालय श्रीकुंज एपार्टमेंट, बोस पार्क एम0 जी0 रोड, थाना–आदमपुर (कोतवाली) जिला – भागलपुर, राष्ट्रीयता –भारतीय।

द्वितीय पक्ष

3.**लेख्य प्रकार:**–डेभलपमेंट एग्रीमेंट दस्तावेज।

4.**लेख्य मूल्य:**–1,07,44,000/–एक करोड़ सात लाख चौवालीस हजार रुपया मात्र।

5.**सम्पत्ति विवरण:–**

मवाजी अराजी कुल संयुक्त 28.2716(अट्ठाईस दशमलव दो सात एक छः) डीसमल यानि 12292 (बारह हजार दो सौ बेरानबे) वर्गफीट जमीन व किस्म –आवासीय सह ब्यवसायिक जो एन0 एच0 80 के सटा हुआ है, मौजा–फतेहपुर, थाना न0 23, हल्का न0 1, अचल व थाना सबौर, जिला भागलपुर में अवस्थित है। अंदर जमींदारी बिहार सरकार के है। उक्त जमीन पर मालगुजारी लगान एवं शेष अंचल जमाबंदी पर निर्धारित वो भुगतेय है।

खाता खेसरा रकवा व चौहद्दी निम्नांकित है:–

खाता	खेसरा	रकवा	उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
338तीन सौ अड़तीस	789 सात सौ नबासी	28.2716 (अट्ठाईस दशमलव दो सात एक छः) डीसमल	एन0 एच0 80	निधी कुमार सिंह एवं एन0 पी0 साह	जितेन्द्र कुमार सिन्हा एवं अर्जुन शर्मा	मोहम्मद सलीमउद्दीन एवं अन्नु मिश्रा

इस डेभलपर एग्रीमेंट में लेख्यकारी न0 1 श्री राजेश कुमार की 4938 वर्गफीट जमीन व लेख्यकारी न0 1 श्री राजेश कुमार को अपनी स्व0 माता शकुन्तला देवी की खरीदगी जमीन 3728 वर्गफीट उत्तराधिकार में प्राप्त है व लेख्यकारी न0 2. श्रीमती सुमित्रा देवी की 1210 वर्गफीट जमीन व लेख्यकारी न0 3. श्रीमती उर्मिला देवी की 1208 वर्गफीट जमीन अपनी खरीदगी वो 1208 वर्गफीट जमीन अपने स्व0 पति फुलेश्वर से उत्तराधिकार में प्राप्त है।

संदर्भः—

यह कि उपरोक्त खाना नं0 5 वाली जमीन लेख्यकारी न0 1 श्री राजेश कुमार जमीन मालिक प्रथम पक्षकार खाना नं0 1 की अपनी निबंधित विक्रयपत्र दस्तावेज के द्वारा खरीदगी वो उत्तराधिकार में प्राप्त व दखल कब्जे वाली है। लेख्यकारी राजेश कुमार ने उक्त खाना न0 5 वाली जमीन की खरीद निबंधन कार्यालय, भागलपुर में निबंधित बिक्रयपत्र दस्तावेज सं0 3477, पुस्तक सं0 1, जिल्द न0 99, पेज न0 292 से 295 के द्वारा 20.03.1986 ई0 को सुमरीत मंडल पिता स्व0 भागवत मंडल साकिन तिलकामांझी, भागलपुर वाले से किया है वो निबंधित बिक्रयपत्र दस्तावेज सं0 14871, पुस्तक सं0 1, जिल्द न0 65 वास्ते 86, पेज न0 473 से 477 के द्वारा 23.11.1985 ई0को मोहम्मद असलम पिता मोहम्मद हवीवुल्लाह साकिन फतेहपुर थाना सबौर जिला भागलपुर वाले से खरीद किया है व निबंधित बिक्रयपत्र दस्तावेज सं0 15204, पुस्तक सं0 1, जिल्द न0 56 वास्ते 86, पेज न0 471 से 474 के द्वारा 02.12.1985 ई0 को मोहम्मद असलम पिता मोहम्मद हवीवुल्लाह साकिन फतेहपुर थाना सबौर जिला भागलपुर वाले से खरीद किया है व लेख्यकारी न0 1 की स्व0 माता शकुन्तला देवी ने उक्त खाना न0 5 वाली जमीन की खरीद निबंधन कार्यालय, भागलपुर में निबंधित बिक्रयपत्र दस्तावेज सं0 3478, पुस्तक सं0 1, जिल्द न0 99, पेज न0 296 से 299 के द्वारा 20.03.1986 ई0 सुमरीत मंडल पिता स्व0 भागवत मंडल साकिन तिलकामांझी, भागलपुर वाले से की थी व निबंधन कार्यालय, भागलपुर में निबंधित बिक्रयपत्र दस्तावेज सं0 14872, पुस्तक सं0 1, जिल्द न0 65 वास्ते 1986, पेज न0 478 से 482 के द्वारा 23.11.1985 ई0 को मोहम्मद असलम पिता मोहम्मद हवीवुल्लाह साकिन फतेहपुर थाना सबौर जिला भागलपुर वाले से खरीद की थी, माता स्व0 शकुन्तला देवी अपने पीछे एकमात्र वारिस लेख्यकारी न0 1 श्री राजेश कुमार को छोड़ कर स्वर्गवास हो गई और लेख्यकारी न0 1 श्री राजेश कुमार अपने माता की जमीन पर एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में अपना हक वो अधिकार प्राप्त किया । लेख्यकारी न0 2 ने उक्त खाना न0 5 वाली जमीन की खरीद निबंधन कार्यालय, भागलपुर में निबंधित बिक्रयपत्र दस्तावेज सं0 15206, पुस्तक सं0 1, जिल्द न0 59 वास्ते 1986, पेज न0 465 से 469 के द्वारा

02.12.1985 ई0को मोहम्मद असलम पिता मोहम्मद हवीवुल्लाह साकिन फतेहपुर थाना सबौर जिला भागलपुर वाले से खरीद की है व लेख्यकारी न0 3 उर्मिला देवी ने उक्त खाना न0 5 वाली जमीन की खरीद निबंधन कार्यालय, भागलपुर में निबंधित बिक्रयपत्र दस्तावेज सं0 15205, पुस्तक सं0 1, जिल्द न0 59 वास्ते 1986, पेज न0 460 से 464 के द्वारा 02.12.1985 ई0 को मोहम्मद असलम पिता मोहम्मद हवीवुल्लाह साकिन फतेहपुर थाना सबौर जिला भागलपुर वाले से खरीद की है व लेख्यकारी न0 3. उर्मिला देवी के स्व0 पति फुलेश्वर साह ने उक्त खाना न0 5 वाली जमीन की खरीद निबंधन कार्यालय, भागलपुर में निबंधित बिक्रयपत्र दस्तावेज सं0 14873, पुस्तक सं0 1, जिल्द न0 65 वास्ते 1986, पेज न0 483 से 486 के द्वारा 23.11.1985 ई0 को मोहम्मद असलम पिता मोहम्मद हवीवुल्लाह साकिन फतेहपुर थाना सबौर जिला भागलपुर वाले से खरीद किया था । यहां इस बात का भी उल्लेख किया जाता है लेख्यकारी न0 3 श्रीमती उर्मिला देवी के पति स्व0 फुलेश्वर साह अपने पीछे एक पत्नि उर्मिला देवी एवं एक पुत्र श्री दीपक कुमार को छोड़ कर स्वर्गवास हो गए, पुत्र जो अभी अवयस्क है उसके पढ़ाई लिखाई वगैरह के लिए उर्मिला देवी ने भवन बनवाकर अपने हिस्से में से प्राप्त आय से उसका खर्च वहन करने का विचार किया। खाना न0 5 वाली जमीन मोहम्मद असलम पिता मोहम्मद हवीवुल्लाह साकिन फतेहपुर थाना सबौर जिला भागलपुर वाले की पैतृक व मरौसी जायदाद थी। इस प्रकार उपरोक्त संदर्भ व अधिकार के आलोक में लेख्यकारी प्रथम पक्ष को खाना नं0–5 वाली जमीन की बहुमंजिला भवन के निर्माण हेतु डेभलपमेंट एग्रीमेंट करने का अधिकार निर्विवाद स्वतंत्र वो कानून के अनुरूप है।

यह है कि फिलवक्त लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने अपनी खाना नं0 5 वाली जमीन पर एक बहुमंजिला आवासीय सह ब्यवसायिक भवन बनाने की निर्णय किए लेकिन पर्याप्त पूंजी के अभाव में लेख्यकारी भू स्वामी खाना नं0 1 द्वितीय पक्ष (लेख्यधारी) से इस बिषय पर विचार विर्मश किया एवं द्वितीय पक्ष जो कि खुद विल्डर हैं और लेख्यकारी प्रथम पक्ष की जमीन पर निम्नांकित एकरारनामा वो शर्तो के आधार पर बहुमंजिला भवन बनाने की अपनी सहमति वो स्वीकृति दे दिए एवं लेख्यकारीगण प्रथम पक्ष ने अपने अपने जमीन मिलाकर बहुमंजिला भवन बनाने हेतु यह एकरारनामा द्वितीय पक्ष के साथ कर रहे हैं।

1.यह कि प्रथम पक्ष जमीन मालिक भू–स्वामी और द्वितीय पक्ष विल्डर/विकासकर्त्ता जाने जायेगें। बहुमंजिला भवन बेसमेंट में पार्किंग व ग्राउण्ड तल के अलावे 7(सात) तल्ला यानि (B+G+7) होगा। भविष्य में

संबंधित अधिकारी के द्वारा और उपर फ्लोर बनाने की अनुमति मिलता है तो (B+G+7) के अलाबे उसके उपर भी भवन बनाया जायेगा।

2.यह कि खाना नं0 5 वाली जमीन पर बनने वाली बहुमंजिला भवन आवासीय व ब्यवसायिक का नाम दोनों पक्षों की सामुहिक निर्णय से **शकुन्तला इनक्लेव** तय हुआ है।

3.यह कि बहुमंजिला भवन में जमीन लेख्यकारी प्रथम पक्ष की होगी और बहुमंजिला भवन आवासीय व ब्यवसायिक को बनाने से लेकर निर्माण पर खर्च वो निर्माण से संबंधित सभी सरकारी व गैर सरकारी खर्च की जिम्मेवारी लेख्यधारी विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष की होगी और(कॉमन एरिया, पैसेज वो कॉमन सुविधा, लिफ्ट, सिढ़ी, रेम्प को छोड़कर) हिस्सा अंश, आवासीय फ्लैट, पार्किंग में 40(चालीस) प्रतिशत और ब्यवसायिक दुकान एरिया में लेख्यकारी प्रथम पक्ष का 50 (पचास) प्रतिशत व उसके अनुपातिक अंश जमीन में लेख्यकारी प्रथम पक्ष का 40(चालीस) प्रतिशत और लेख्यधारी द्वितीय पक्ष का आवासीय फ्लैट में 60(साठ) प्रतिशत व ब्यवसायिक दुकान में 50 (पचास) प्रतिशत एवं अनुपातिक अंश जमीन में 60(साठ) प्रतिशत होना तय है और होगा।

4.यह कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष आर्किटेक्ट वो असैनिक अभियंता से भवन का नक्सा बनवाकर एवं प्रथम पक्ष की लिखित सहमति लेकर नगर निगम वो संबंधित संस्था से नक्सा पास करवाना द्वितीय पक्ष की जिममेदारी रहेगी। निर्माण में सामग्री बेहतर लगाये जायेगें साथ ही सारा खर्च लेख्यधारी द्वितीय पक्ष करेगें एवं लेख्यधारी द्वितीय पक्ष अपने हिस्से की आवासीय व ब्यवसायिक निर्माण की बिक्री, जरब्याना, बंधक, लीज, दान वगैरह का, अपने पक्ष एवं हित में निबंधन अपने मर्जी से वो अपने हष्ताक्षर से निबंधन कार्यालय, भागलपुर वो अन्य सरकारी वो गैर सरकारी संस्थाओं व प्रतिष्ठानों में स्वयं करेंगे वो स्वयं अपने हष्ताक्षर से उक्त जायदाद से संबंधित खरीददार व लोगों के नाम चिरकुट व जरुरी कागजात निर्गत करेंगे एवं उसका रकम भी प्राप्त करेंगे। इसमें लेख्यकारी प्रथम पक्ष को काई ऐतराज नही होगा। इसी प्रकार लेख्यकारी भी अपने अंश हिस्सा की बिक्री अपने स्वतंत्र मर्जी से करेंगे इसमें लेख्यधारी द्वितीय पक्ष को काई ऐतराज नही होगा। अगर लेख्यकारी प्रथम पक्ष अपने अंश की बिक्री लेख्यधारी द्वितीय पक्ष के माध्यम से करायेंगे तो उनके अंश की कीमत लेख्यकारी प्रथम पक्ष सीधे तौर पर खरीददार से प्राप्त करेंगे।

5.यह कि भवन की कॉमन एरिया कॉमन सुबिधा, सिढ़ी, लिफ्ट, रेम्प, जेनरेटर, नाला, कॉमन सेप्टिक टैंक, बिजली इत्यादि की व्यवस्था वो बनाने का काम लेख्यधारी द्वितीय पक्ष अपने खर्च से करेगें और कोई भी पक्षकार वो उनके खरीददार उसका अतिक्रमण एवं दुरुपयोग नहीं करेगें एवं और न

ही फ्लैट के बाहरी भाग(दीवाल) में संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन करेगें। यह सभी कॉमन रहेगा तथा उसका सभी उपयोग करेंगे।

6.यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष निर्माण संबंधी कार्य में अपना आवश्यक हस्ताक्षर लेख्यधारी द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजात पर पढ़कर व समझ बुझ कर, कर देगें एवं भवन निर्माण में कोई भी बाधा उत्पन्न होता है तो मदद करेंगे।

7.लेख्यधारी द्वितीय पक्ष निर्माणाधीन भवन के अपने आवासीय व ब्यवसायिक अंश भाग की विक्री हेतु जरव्याना कर एवं जरब्याना राशि प्राप्त कर सकते हैं व उसकी बिक्री व विक्रयपत्र दस्तावेज अपने हस्ताक्षर से निबंधित कर कीमत स्वयं प्राप्त करेंगे। जो सिर्फ अधिकार द्वितीय पक्ष की होगी प्रथम पक्ष को उसके किसी भी लाभ हानी से कोई मतलव नहीं रहेगा।

8.लेख्यकारी प्रथम पक्ष वो लेख्यधारी द्वितीय पक्ष अपने अपने निर्मित अंश फ्लैट की विक्री वो किसी भी प्रकार का हस्तांतरण मॉर्गेज, लीज इस एकरारनामे के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने अपने हस्ताक्षर से करेगें इसमें कोई पक्ष किसी का विरोध नहीं करेगें और न ही विरोध मान्य होगा।

9.यह कि अगर लेख्यकारी वो लेख्यधारी के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद होता हैं तो उसका निपटारा आर्वीट्रेशन एक्ट 1995/आपसी बातचीत के तहत होगा जो दोनो पक्षो को मान्य होगा जो पन्द्रह दिन के अन्दर सुलझा लिया जायेगा।

10.यह कि अर्पाटमेंट पूर्ण होने पर उसका मेंटेनेन्स कार्य, अपार्टमेंट के खरीददार व उसमें रहने वाले अपना सोसायटी बनाकर बिहार एपार्टमेंट अधिनियम के अनुसार करेंगे।यह लेख्यकारी वो लेख्यधारी के बीच तय हुआ है।

11. लेख्यधारी खाना न0 2 खाना न0 5 वाली भुमि पर निर्माण कार्य निर्धारित समय 03 वर्ष के अन्दर पुरा करेंगे और 3 वर्ष के अन्दर पुरा नही करने पर छः माह का समय का विस्तार समझा जायेगा। उसके बाद लेख्यधारी द्वितीय पक्ष लेख्यकारी प्रथम पक्ष को बतौर हर्जाना पचास हजार रुपया प्रति माह अदाय करेंगे। अगर किसी प्राकृतिक आपदा व विपरीत परिस्थिति के कारण बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य पूरा नही होता है तो लेख्यधारी खाना न0 2 को बतौर हर्जाना नही देना होगा।

12. निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामानों की देख रेख के लिए प्रथम पक्ष भी अधिकृत होंगे और प्रथम पक्ष की सहमति से ही प्रयुक्त सामानों का उपयोग होगा।अमान्य सामानों के उपयोग होने पर निर्माण प्रभावी होगा इसलिए सामानों का उपयोग उभय पक्षों की आम सहमति से ही होगी।

13.प्रथम पक्ष(न0 1 एवं 2) जमीन मालिक द्वितीय पक्ष(डेभलपर) को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो अपने हिस्से के भाग में निर्मित फ्लैट को किसी को बेच सकता है या उस फ्लैट का विक्री हेतु अग्रिम राशि या कर्ज ले सकता है, लेकिन उपरोक्त राशि की देनदारी का पुरा दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष इसमें कहीं भी देनदार नही होगा। लेकिन बेच गए फ्लैटों का विक्रयपत्र निबंधन तभी होगा, जब प्रथम पक्ष को मिलने वाला हिस्सा पूर्णरुपेण दिया जायेगा।

14.प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को यह अधिकार देता है कि अपने हिस्से के भाग में निर्मित फ्लैट को किसी भी खरीददार से पैसा लेकर पावती रसीद दे सकता है एवं निबंधन कार्यालय से उपरोक्त खरीददार के पक्ष में विक्रीनामा/पट्टा निबंधित करा सकता है या द्वितीय पक्षअपने हिस्से के उपरोक्त भवन को किसी भी बैंकए कर्ज देने वाली संस्था को गिरवीं रख सकता हैए या खरीददारों के पक्ष में कर्ज राशि ले सकता है। लेकिन किसी भी तरह द्वितीय पक्ष उपरोक्त राशि को बहुमंजिले भवन निर्माण के अलावा दूसरे कार्य में नही लगा सकता है। कर्ज या उधार लौटाने की पुरी जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष की होगी।

15. प्रथम पक्ष(न0 1 एवं 2) जमीन मालिक द्वितीय पक्ष(डेभलपर) को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो इस उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध एवं बहुमंजिले भवन निर्माण के संबंध में जो भी मुकदमा, नोटिस या कोई कार्रवाई होगा उसमें वो हाजिर होंगे एवं उस पर होने वाले खर्च का वहन करेंगे एवं प्रथम पक्ष के हित हेतु कार्य करेंगे।

16. प्रथम पक्ष यह कहता है कि आज उपरोक्त सम्पत्ति का जो भी टैक्स या रेंट बकाया है वह चुकता कर दिया गया है या कर देगा और आज एकरारनामे की तिथि से टैक्स एवं रेंट की देनदारी की जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष की होगा।

17. द्वितीय पक्ष यह शपथपुर्वक कहते हैं कि बहुमंजिले भवन निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही या कोताही नही बरती जाएगी।

18. द्वितीय पक्ष शपथपुर्वक कहते हैं कि वो प्रथम पक्ष के लिए एवं अन्य खरीददारों के लिए उक्त बहुमंजिला भवन में गहरे ट्यूबवेल, ओवरहेड स्टोरेज टंकी, पमप सेट, जल संग्रहण टैंक, जेनरेटर, लिफ्ट उपलब्ध करबायेंगे।

तल एवं फ्लैट का निर्धारण दोनों पक्षों ने संयुक्त सहमति वो स्वीकृति से निम्न प्रकार किये हैं:—

नाम	फ्लोर न0	फ्लैट न0
लेख्यकारी प्रथम पक्ष	द्वितीय तल	201.202.203.204.205.206. 207.208
लेख्यकारी प्रथम पक्ष	चतुर्थ तल	401.402.403.404.405.406. 407.708
लेख्यकारी प्रथम पक्ष	छठा तल	601.602.603.604.605.606. 607.608
अनुपमा डेभलपर प्रा0 लि0	प्रथम तल	101.102.103.104.105.106. 107.108
अनुपमा डेभलपर प्रा0 लि0	तृतीय तल	301.302.303.304.305.306. 307.308.
अनुपमा डेभलपर प्रा0 लि0	पाचवा तलं	501.502.503.504.505.506. 507.508
अनुपमा डेभलपर प्रा0 लि0	सातवां तलं	701.702.703.704.705.706. 707.708

इसके अलावे ग्राउण्ड तल में दोंनो पक्षकार लेख्यकारीगण व लेख्यधारी अनुपमा डेभलपर का आधा आधा अंश होगा जिसमें पश्चिम भाग प्रथम पक्ष लेख्यकारीगण का होगा व पुरव तरफ वाला भाग लेख्यधारी अनुपमा डेभलपर का होगा।

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष खाना नं0 1 इस डेभलपमेंट एग्रीमेंट दस्तावेज में यह घोषणा करते हैं कि खाना नं0 5 वाली जमीन विल्कुल निर्विवाद है, और मेरे पूर्ण स्वत्व वो दखल कब्जे वाली जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कर्ज भार नहीं है। उसे रेहन, सट्टा,पट्टा वो बंधक पर किसी सरकारी वो गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं और प्रबंधनो में नहीं रखा गया है। और न हीं उक्त जमीन की विक्री की गई है और नहीं किसी अन्य के हाथ व नाम विक्री हेतू जरव्याना किया गया है और न ही किसी अन्य को उक्त जमीन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए पावर दिया गया है। उभय पक्षों के बीच यह तय हुआ है कि खाना न0 5 वाली जमीन पर निबंधित एग्रीमेंट की तारीख के पुर्व की मालगुजारी लगान व शेष का भुगतान जमीन मालिक करेंगे व निबंधित एग्रीमेंट की तारीख के बाद मालगुजारी लगान व शेष का भुगतान डेभलपर खाना न0 2 करेंगे । अगर

किसी तरह की समस्या होती है तो ऐसे स्थिति में लेख्यकारी प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का पुंजी के अलावा हर्जाना अदा करने को कानुनन पायवंद होंगे।

Amenities and Specifications

Foundation : R.C.C foundation as per the design of structural consultant.

structure : R.C.C. framed structured with Bricks/Hollow bricks in cement Mortar as per Design & specification of structural consultant.

* Complex designed as per VASTU SHASTAR guidelines.

All apartments are well designed and receive ample Natural light and Air throughout.

Each floor consists of 2BHK & 3BHK, a Living Room with separate Dining space and a spacious Kitchen.

* Elevator of a renowned brand.
* Water pump, lighting in common areas.
* A wide spacious Lobby on the ground & each floor.
* Marble floors in Lobby and Stairs.
* Aluminum powder coated Windows with Steel Grills.
* Waterproof Flush Doors with front side teak ply on the main door.
* Vitrified tiles for Flooring throughout the flat. Anti skid ceramic tiles for Flooring in Toilets.
* Granite platform containing Stainless steel Sink in Kitchen
* Glazed Dado tile up to 2' height above cooking platform in Kitchen. Bathroom Glazing up to 7' height
* Concealed plumbing equipped with C.P. Fittings of renowned brand (Jaquar or equivalent)

* Vitreous Whit Sanitary ware of standard makes (Parry ware or Equivalent)
* Concealed Electrical piping with renowned Modular switches and standard Electrical Fittings with ISI multi strand wires
* Provision for Inverter point.
* Common area lighting back up with Inverter Facility
* T.V. and Telephone points in each flat.
* MCB in each flat
* Power plug connections in Living Room, Kitchen and Toilets for (A.C/Heater/Gizzer)
* All Internal Walls will be finished with a coat of Wall Putty.
* Ample quantity of Water Storage

उपरोक्त बयान उभय पक्षो ने अपने अपने समक्ष लिखवाकर, पढ़कर वो पढ़वाकर वो समझ बुझकर बिना किसी दबाव, भय वो धमकी के बहकावे वो फुसलावे के चन्द गवाहन के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर से इस एकरारनामा दस्तावेज को कर दिया ताकि वक्त विशेष पर काम आवे।

दाता

Rakhi kumari
D/o Sri Janardhan Prasad
Tilkamanjhi,
Bhagalpur
2/12/14

टंकक सह प्रारूपक

2/12/14

Niranjan Kumar Singh
Advocate, Bhagalpur
Adampur, Bhagalpur
E.N-3659/26-09-1995
Mob no-9430816236..

दाता

Prince Hakim
S/o Md. Muslim Ali
Mojahidpur (west)
Bhagalpur
2/12/14

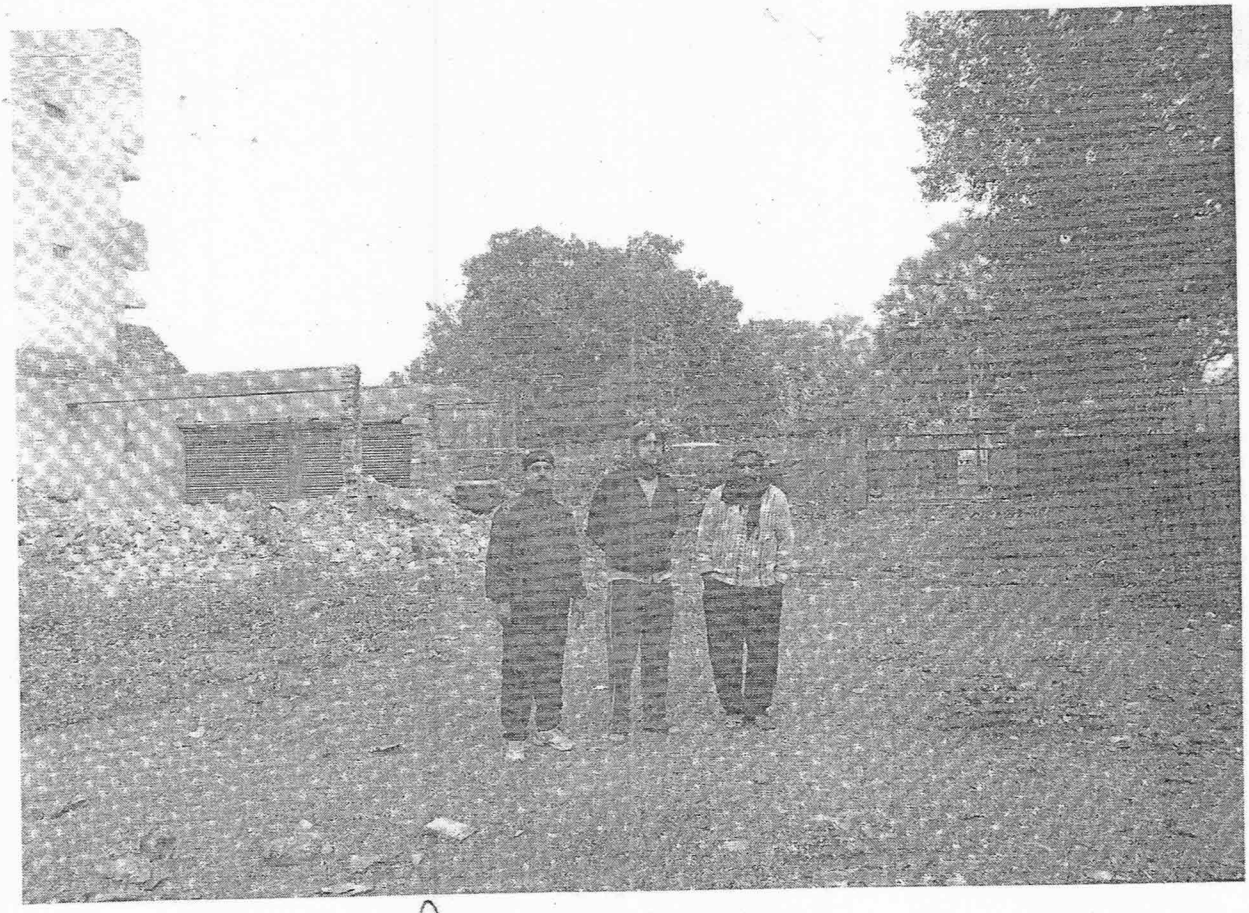

Pradeep Kumar Sharma
16/12/14

Nityanand Kumar Singh
16/12/14

16/12/14

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 217180/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 237620/-

Registration Fee

A1	90	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
							TOTAL-		20090

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	350
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20440

Registering Officer
Bhagalpur

Date: 16/12/2014

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Bhagalpur on Thursday, 04th December 2014 by Rajesh Kumar Janardan Sah by profession Agriculture. Status - Executant

Signature/L.T.I. of Presentant

16/12/2014

Date:16/12/2014

Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Rakhi Kumari' age '42' Sex 'F', 'Rajesh Kumar', resident of 'Tilkamanjhi, Bhagalpur'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Bhagalpur

Date : 16/12/2014

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Bhagalpur in Book 4 Volume No. 2 on pages on 343 -355 , for the year 2014 and stored in CD volume No. CD-1 year 2014 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Bhagalpur

Date : 16/12/2014

Token No. : 14529 Year : 2014 S.No. : 14240 SCORE Ver.3.0 Deed No . : 86

SE Rectification Registered Development Agreement

Serial No. 10745 Circle:-:Sabour Book No. :- 1 Deed No. 10638

Serial No. 10745 Deed No. 10638

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Bhagalpur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **07/09/2016** by **Rajesh Kumar**
A stamp duty of Rs. **512000**/- and other fees of Rs. **21045**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **10638** in Book No. **1**, Volume No. **194** on pages from **79** to **90** and has been preserved in total **12** pages in C.D. No. **30** / Year **2016**

Signature with Date
(**Satya Narayan Choudhary**)
Registering Officer, **Bhagalpur**

Date: 07/09/2016 Token No: 11194 /2016

MODEL DEED

सुधार विलेख
(Rectification Deed)

RECTIFICATION DEED OF DEVELOPMENT AGREEMENT

1. लेख्यकारी का नाम एवं पताः–

1.श्री राजेश कुमार उम्र–48 वर्ष Mob. No- 9431690606 पिता श्री जर्नादन साह साकिन मोहल्ला–तिलकामांझी, थाना– तिलकामांझी जिला–भागलपुर, स्थायी निवासी ग्राम– अब्जूगंज, थाना – सुलतानगंज, व जिला–भागलपुर राज्य– बिहार, राष्ट्रीयता– भारतीय (इसमें इनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित है)

14:40:49 PM

SCROLL CHECKED

District Registry Office,Bhagalpur

Token Number 11194 | Reg. Year 2016 | Serial Number 10745 | Deed Number 10638

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Pradeep Kumar Sharma	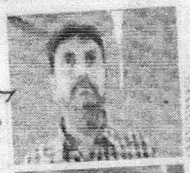					
Sig.	Pradeep kumar Sharma 07/09/16						
Presented By	Rajesh Kumar						
Sig.	7/9/2016						
Executant	Rajesh Kumar						
Sig.	7/9/2016						
Executant	Sumitra Devi						
Sig.	7/9/16						
Executant	Urmila Devi						
Sig.	7/9/16						
Identified By	Rakhi Kumari						
Sig.	Rakhi kumari 7/9/16						

14:41:05

2.**श्रीमती सुमित्रा देवी** उम्र 60 वर्ष पति श्री सुभाष प्रसाद साह साकिन मोहल्ला–तिलकामाझी, थाना– तिलकामांझी जिला–भागलपुर वर्त्तमान निवासी– जमालपुर, जिला–मुंगेर, (इसमें इनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित है)

3.**श्रीमती उर्मिला देवी उम्र 80 वर्ष** पति स्व0 फुलेश्वर साह साकिन + थाना –असरगंज, जिला–मुंगेर, राज्य– बिहार, राष्ट्रीयता– भारतीय (इसमें इनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलितहै)

प्रथम पक्ष

2. **लेख्यधारी का नाम एवं पता:–** श्री मेसर्स अनुपमा डेभलपर प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत निर्देशक **श्री प्रदीप कुमार शर्मा** उम्र –वर्ष पिता स्व0 नन्द लाल शर्मा निवास स्थान व कार्यालय श्रीकुंज एपार्टमेंट, बोस पार्क एम0 जी0 रोड, थाना–आदमपुर (कोतवाली) जिला – भागलपुर, राष्ट्रीयता –भारतीय। Mob. No-9934371706

द्वितीय पक्ष

3.लेख्य प्रकार:–निबंधन कार्यालय, भागलपुर में निबंधित डेभलपमेंट एग्रीमेंट दस्तावेज सं0 86, बुक 4, जिल्द न0 2, पेज न0 343 से 355 सीडी 1, टोकन न0 14529, सिरियल न0 14240, दिनांक 16.12.2014 का **सुधारनामा दस्तावेज।**

4.लेख्य मूल्य:–1,07,44,000/–एक करोड़ सात लाख चौवालीस हजार रुपया मात्र जांचोपरांत अराजी पर 120 फीट लंबा, 3 फीट उंचा, 5 ईंच मोटा दिवाल तथा एक शीसम का पेड़ पाया गया जिसका मूल्य मो0 1,15,000/– वो कुल सरकारी मूल्य 1,08,59,000/– रुपया होता है। वर्त्तमान सरकारी मूल्य मो0 2,56,00,000/– दो करोड़ छप्पन लाख रुपया है।

5.सम्पत्ति विवरण:– जो गलत व असुद्ध है

मवाजी अराजी कुल संयुक्त 28.2716(अट्ठाईस दशमलव दो सात एक छः) डीसमल यानि लगभग 12292 (बारह हजार दो सौ बेरानबे) वर्गफीट जमीन व किस्म –आवासीय सह व्यवसायिक जो एन0 एच0 80 के सटा हुआ है, मौजा–फतेहपुर, थाना न0 23, हल्का न0 1, अंचल व थाना सबौर, जिला भागलपुर में अवस्थित है। अदर जमींदारी बिहार सरकार के है। उक्त जमीन पर मालगुजारी लगान एवं शेष अंचल [illegible] पर निर्धारित वो भुगतेय है।

पहचानकर्त्ता का हस्ताक्षर

लेख्यकारी का हस्ताक्षर

खाता खेसरा रकवा व चौहद्दी निम्नांकित है:–

खाता	खेसरा	रकवा	उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
338तीन सौ अड़तीस	789 सात सौ नबासी	28.2716 (अट्ठाईस दशमलव दो सात एक छः) डीसमल	एन0 एच0 80	निधी कुमार सिंह एवं एन0 पी0 साह	जितेन्द्र कुमार सिन्हा एवं अर्जुन शर्मा	मोहम्मद सलीमउद्दीन एवं अन्नु मिश्रा

इस डेभलपर एग्रीमेंट में लेख्यकारी न0 1 श्री राजेश कुमार की 4938 वर्गफीट जमीन व लेख्यकारी न0 1 श्री राजेश कुमार को अपनी स्व0 माता शकुन्तला देवी की खरीदगी जमीन 3728 वर्गफीट उत्तराधिकार में प्राप्त है व लेख्यकारी न0 2. श्रीमती सुमित्रा देवी की 1210 वर्गफीट जमीन व लेख्यकारी न0 3. श्रीमती उर्मिला देवी की 1208 वर्गफीट जमीन अपनी खरीदगी वो 1208 वर्गफीट जमीन अपने स्व0 पति फुलेश्वर से उत्तराधिकार में प्राप्त है।

5.सम्पत्ति विवरणः– जो सही व शुद्ध है —

मवाजी अराजी कुल संयुक्त 28.2716 (अट्ठाईस दशमलव दो सात एक छः) डीसमल यानि लगभग 12292 (बारह हजार दो सौ बेरानबे) वर्गफीट जमीन व किस्म –आवासीय सह व्यवसायिक जो एन0 एच0 80 के सटा हुआ है, मौजा–फतेहपुर, थाना न0 23, हल्का न0 1, अंचल व थाना सबौर, जिला भागलपुर में अवस्थित है। अंदर जमींदारी बिहार सरकार के है। उक्त जमीन पर मालगुजारी लगान एवं शेष अंचल जमाबंदी सं0,1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 2415 एवं 4032 पर निर्धारित वो भुगतेय है। मुद्रांक शुल्क प्रथम श्रेणी व्यवसायिक में दिया गया है।

पुरे रकवा 28.2716(अट्ठाईस दशमलव दो सात एक छः) डीसमल का है व चौहद्दी निम्नांकित है:–

खाता	खेसरा	रकवा	उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
338तीन सौ अड़तीस पुराना वो नया 328 तीन — सौ अट्ठाईस, — 532 पाँच सौ बत्तीस पुराना वो नया 533 पाँच सौ तेतीस	789 सात सौ नबासी 790 सात सौ नब्बे	28.2716 (अट्ठाईस दशमलव दो सात एक छः) डीसमल	एन0 एच0 80	निधी कुमार सिंह एवं एन0 पी0 साह	जितेन्द्र कुमार सिन्हा एवं अर्जुन शर्मा	मोहम्मद सलीमउद्दीन एवं अन्नु मिश्रा

इस डेभलपर एग्रीमेंट में लेख्यकारी न0 1 श्री राजेश कुमार की अपनी निजी 4938 वर्गफीट जमीन व लेख्यकारी न0 1 श्री राजेश कुमार को अपनी स्व0 माता शकुन्तला देवी की खरीदगी जमीन 3728 वर्गफीट उत्तराधिकार में प्राप्त है व लेख्यकारी न0 2. श्रीमती सुमित्रा देवी की 1210 वर्गफीट जमीन अपनी खरीदगी व लेख्यकारी न0 3. श्रीमती उर्मिला देवी की 1208 वर्गफीट जमीन अपनी खरीदगी वो 1208 वर्गफीट जमीन अपने स्व0 पति फुलेश्वर से उत्तराधिकार में प्राप्त है।

संदर्भः–

यह कि उपरोक्त खाना नं0 5 वाली जमीन पर लेख्यकारी न0 1 .श्री राजेश कुमार पिता श्री जर्नादन साह साकिन मोहल्ला–तिलकामांझी, थाना–तिलकामांझी जिला–भागलपुर, स्थायी निवासी ग्राम– अब्जूगंज, थाना – सुलतानगंज, व जिला–भागलपुर , 2. श्रीमती सुमित्रा देवी पति श्री सुभाष प्रसाद साह साकिन मोहल्ला–तिलकामांझी, थाना– तिलकामांझी जिला–भागलपुर वर्त्तमान निवासी– जमालपुर, जिला मुंगेर, 3.श्रीमती उर्मिला देवी पति स्व0 फुलेश्वर साह साकिन व थाना –असरगंज, जिला–मुंगेर, वाले वो लेख्यधारी खाना न0 2 मेसर्स अनुपमा डेभलपर प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत निर्देशक श्री प्रदीप कुमार शर्मा पिता स्व0 नन्द लाल शर्मा निवास स्थान व कार्यालय श्रीकुंज एपार्टमेंट, बोस पार्क एम0 जी0 रोड, थाना–आदमपुर (कोतवाली) जिला – भागलपुर वाले के बीच बहुमंजिला भवन बनाने के लिए निबंधन कार्यालय, भागलपुर में एक निबंधित डेभलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है जिसका दस्तावेज सं0 86, बुक 4, जिल्द न0 2, पेज न0 343 से 355, सीडी 1, टोकन न0 14529, सिरियल न0 14240, दिनांक 16.12.2014 है।

उक्त एग्रीमेंट हो जाने व दस्तावेज के निबंधन कार्यालय भागलपुर से हस्तगत हो जाने के उपरांत पता चला कि उक्त दस्तावेज में कुछ खाता खेसरा टाईपिंग गलती के कारण छुट गया है वो उक्त वर्णित खाना न0 5 वाली रकबा में और भी खाता एवं खेसरा है जो उक्त निबंधित दस्तावेज में दर्ज नही हो पाया था। अन्य सभी शर्त्त एवं विवरण जो पुर्व डेभलपमेंट एग्रीमेंट दस्तावेज न0 86 दिनांक 16.12.2014 में वर्णित है वह सही है और लागू रहेगा। केवल निर्माण का कार्यकाल इस डेभलपमेंट दस्तावेज के शुद्धिकरण की तिथि से तीन साल तक का रहेगा। पहले वाले दस्तावेज का नही रहेगा। यह भी शर्त्त रहा कि भवन निर्माण पुरा होने के बाद जमीन मालीक एवं डेभलपर जमीन से सम्बन्धित सभी मूल कागजात एर्पाटमेंट के सोसायटी को सुपुर्द कर देंगें।

इसी गलती को सुधार करने के लिए ही उभय पक्षों ने अपने अपने समक्ष इस सुधारनामा दस्तावेज को लिखवाकर वो पढ़ वो पढ़वाकर एवं समझ बुझ कर इस सुधारनामा दस्तावेज को निबंधन कार्यालय, भागलपुर में दाखिल तामिल वो निबंधित किया जाता है। ताकि वक्त विशेष पर काम आवे।

गवाहगण:—

1. Rakhi Kumari
W/o Rajesh Kumar
Tilkamanjhi,
Bhagalpur
7/9/16

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

[signature] 7/9/16.

सुमित्रा देवी
7/9/16

अर्मिला देवी
7/9/16

Pradeep Kumar Sharma
7/9/16

2. Prince Hakim
S/o Md. Muslim Ali
Mojahidpur (west)
Bhagalpur
7/9/16

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

यह विलेख लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के निदेश एवं सहमति पर लिपिबद्ध किया गया है।

हस्ताक्षर—
मुद्रित व लिपिकार (.....[signature] 7/9/16.....)

.....

मुद्रित किया,

निष्पादक का हस्ताक्षर

राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख

रैयत का नाम:	नेहाल चंदर गंगोली
पिता/पति का नाम:	नोविन चंदर गंगोली
निवास स्थान:	खंजरपुर,,,
जाति :	बंगाली कायस्थ
राजस्व थाना नंबर: 23	

जिला : (22) भागलपुर

अंचल : (22) सबौर

मौजा : (160) फतेहपुर

** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शर्तें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो

लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शर्तें शेष अगर कोई हो

खाताधारी सं.: 2201220160000336

खाता नंबर	रैयत का नाम*	खेसरा नंबर	खेत चौहदी	किस्म जमीन	रकवा ऐ.	रकवा डे.	रकवा हे.	दखल, दखल का स्वरुप	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान एवम सेस	**	नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत	परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम	नवैयत / जमाबंदी नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(₹)	11(₹)	12	13	14
328	2: निर्मल चंदर गंगोली अंश- पिता/पति का नाम - नोविन चंदर गंगोली जाति - बंगाली कायस्थ पता -खंजरपुर,,, 3: निरोद चंदर गंगोली अंश- पिता/पति का नाम - नोविन चंदर गंगोली जाति - बंगाली कायस्थ पता -खंजरपुर,,, 4: निकिल चंदर गंगोली अंश- पिता/पति का नाम - नोविन चंदर गंगोली जाति - बंगाली कायस्थ पता -खंजरपुर,,, 5: निसेद चंदर गंगोली अंश-1 पिता/पति का नाम - धिरेन्द्र नाथ गंगोली जाति - बंगाली कायस्थ पता -खंजरपुर,,, 6: नरेश चंदर गंगोली अंश-1 पिता/पति का नाम - धिरेन्द्र नाथ गंगोली	788	पू.- प.- उ.- निज द.- तवजु मियां	भीठ-2	1	88	0		7	0			कायमी
		789	पू.- प.- उ.- खन्ता द.- निज	भीठ-2	0	60	0		0	0			कायमी

7/9/16

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख

रैयत का नाम:	महमद मोसलीम
पिता/पति का नाम:	महमद हवीवुल्लाह
निवास स्थान:	निजग्राम,,,
जाति :	मुसलमान

राजस्व थाना नंबर: 23

जिला : (22) भागलपुर

अंचल : (22) सबौर

मौजा : (160) फतेहपुर

** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शर्ते,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो

लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शर्ते शेष अगर कोई हो

खाताधारी सं.: 2201220160000540

खाता नंबर	रैयत का नाम*	खेसरा नंबर	खेत चौहदी	किस्म जमीन	रकबा			दखल, दखल का स्वरूप	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान एवम सेस	**	नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत	परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम	नवैयत / जमाबंदी नं.
					ऐ.	डे.	हे.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(रै)	11(रै)	12	13	14
533	2: महमद असलम अंश-14 पिता/पति का नाम - महमद हवीवुल्लाह जाति - मुसलमान पता -निजग्राम,,, 3: वीवी असगरी वेगम अंश-2 पिता/पति का नाम - xjfmfndwdkj जाति - मुसलमान पता -निजग्राम,,,	790	पू.- प.- उ.- खंता द.- लताफत हुसैन	भीठ-2	1	18	0		12.25	0			कायमी

जिला :(22) भागलपुर, अंचल :(22) सबौर, मौजा :(160) फतेहपुर, खाता नंबर :533, खाताधारी सं.: 2201220160000540

चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 512000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 533045/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	20045	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		

TOTAL- 20045

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	1000
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 21045

Registering Officer
Bhagalpur

Date: 07/09/2016

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Bhagalpur on Wednesday, 07th September 2016 by Rajesh Kumar Janardan Sah by profession Others. Status - Executant

7/9/2016

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:07/09/2016**

Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Rakhi Kumari' age '43' Sex 'M', 'Rajesh Kumar ', resident of 'T Manjhi.Jagdishpur.Bhagalpur'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Bhagalpur

Date : 07/09/2016

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Bhagalpur in Book 1 Volume No. 194 on pages on 79 -90 , for the year 2016 and stored in CD volume No. CD-30 , year 2016 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Bhagalpur

Date : 07/09/2016

Token No. : 11194 Year : 2016 S.No. : 10745 SCORE Ver.4.0 Deed No . : 10638

Scanned By 14:40:04 PM
Computer Operator